15/10/19.

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी को बार-बार आवाज लगाई गई। इसके बावजूद न तो वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए एवं न ही स्वयं वादी एवं प्रतिवादी गण। अतः चूंकि दोनों में से कोई पक्षकार वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुए, वाद को सि.प्र.सं., 1908 के आदेश 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/10/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner